

महिला सशक्तिकरण: आधुनिक भारत की पहचान

डॉ. वीना रानी*

सार - महिला सशक्तिकरण एक निरन्तर बहस का विषय है। पहले के समय में उन्हें पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त था। लेकिन उत्तर-वैदिक और महाकाव्य काल के दौरान उन्हें बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। कई बार उनके साथ गुलाम जैसा व्यवहार किया जाता था। बीसवीं सदी की शुरुआत (राष्ट्रीय आंदोलन) से भारत में उनकी स्थिति धीरे-धीरे और धीरे-धीरे बदलती गई है। इस संबंध में, हमने ब्रिटिश लोगों के नाम का उल्लेख किया। उसके बाद, भारत की स्वतंत्रता, संवैधानिक निर्माताओं और राष्ट्रीय नेताओं ने दृढ़ता से पुरुषों के साथ महिलाओं की समान सामाजिक स्थिति की मांग की। आज हमने देखा है कि महिलाओं ने लगभग सभी क्षेत्रों में सम्मानजनक पदों पर अधिकार कर लिया है। फिर भी, उनको समाज ने भेदभाव और उत्पीड़न से पूरी तरह मुक्त नहीं किया है। कई महिलाएं अपनी क्षमताएं स्थापित करने में सफल रही हैं। इसलिए प्रत्येक को नारी की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए तत्पर रहना चाहिए।

महिला सशक्तिकरण महिलाओं की अपने कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखने की क्षमता है। इसका अर्थ है भौतिक संपत्ति, बौद्धिक संसाधनों और यहां तक कि उनकी विचारधाराओं पर नियंत्रण। इसमें मनोवैज्ञानिक स्तर पर, महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में मुखर होने की क्षमता शामिल है, जो अब तक, विशेष रूप से भारत जैसी संस्कृति में उन्हें सौंपी गई 'लैंगिक भूमिकाओं' से सीमित रही है, और जो परिवर्तनों का विरोध करती है।

मुख्य शब्द - महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, सामाजिक स्थिति, बौद्धिक संसाधन ।

-----X-----

भूमिका

महिलाएं दुनिया की आबादी का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा हैं, लेकिन भारत ने अनुपातहीन लिंग अनुपात दिखाया है जिससे महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम रही है। जहां तक उनकी सामाजिक स्थिति का सवाल है, उन्हें सभी जगहों पर पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता है। पश्चिमी समाजों में, महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार और दर्जा प्राप्त है। लेकिन भारत में आज भी लैंगिक असमानता और भेदभाव पाए जाते हैं। विरोधाभासी स्थिति यह है कि वह कभी देवी के रूप में और कभी केवल दासी के रूप में चिन्हित हैं।

अब भारत में महिलाओं को संवैधानिक और कानूनी प्रावधान के अनुसार पुरुषों के साथ समानता का एक अनूठा दर्जा प्राप्त है। लेकिन भारतीय महिलाओं ने वर्तमान स्थिति हासिल करने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। औरत जब एक बच्ची के रूप गर्भ में ही उसके साथ भेदभाव शुरू हो जाता है यह पता चलते ही कि गर्भ में पहने वाला शिशु बच्ची है उसको तभी मार दिया जाता है। शादी होने तक भाई के मुकाबले लड़की को ज्यादातर समझौता करना पड़ता है। शादी के बाद पति के दबाव में रहना

पड़ता है विधवा होने पर और साथ-साथ ज्येष्ठ पुत्र के दबाव में इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है कि गर्भ में भ्रूण से लेकर उसके मृत्यु के बाद तक भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले, भारत में लैंगिक असमानता का पता महाभारत के ऐतिहासिक दिनों में लगाया जा सकता है जब द्रौपदी को उसके पति ने एक वस्तु के रूप में पासे पर रखा था। इतिहास गवाह है कि पुरुषों को खुश करने के लिए महिलाओं को निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर नृत्य कराया जाता था अर्थात् उसको एक मनोरंजन की वस्तु समझकर प्रस्तुत किया जाता रहा है।

दूसरे, भारतीय समाज में, पिछले कुछ साल पहले भी एक महिला हमेशा परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर थी तथा कुछ हद तक अब भी निर्भर है। तीसरे, एक महिला को अपने ससुराल वालों के बड़े सदस्यों की उपस्थिति में तेज आवाज में बोलने की अनुमति नहीं थी। परिवार में, हर दोष उसके पास गया और जिम्मेदार था। आगे, एक विधवा के रूप में परिवार के पुरुष सदस्यों पर उसकी निर्भरता और भी अधिक बढ़ जाती है। आमतौर पर कई सामाजिक गतिविधियों में उसे परिवार के

अतिरिक्त अन्य बाहरी सदस्यों के साथ घुलने-मिलने की अनुमति नहीं है। दूसरी ओर, समाज के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में उसका बहुत कम हिस्सा है।

भारत की स्वतंत्रता के बाद, संविधान निर्माताओं और राष्ट्रीय नेताओं ने पुरुषों के साथ महिलाओं की समान सामाजिक स्थिति को मान्यता दी। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 ने विवाह के लिए आयु निर्धारित की है, जिसमें एक विवाह और मां की संरक्षकता प्रदान की गई है और विशिष्ट परिस्थितियों में विवाह के विघटन की अनुमति दी गई है। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत अविवाहित महिला, विधवा या स्वस्थ मन से तलाकशुदा महिला भी बच्चे को गोद ले सकती है। इसी तरह, 1961 का दहेज निषेध अधिनियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो दहेज देता है, लेता है या दहेज लेने के लिए उकसाता है, उसे छह महीने तक की कैद या 5000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। भारत का संविधान लिंगों की समानता की गारंटी देता है और वास्तव में महिलाओं को विशेष उपकार देता है।

इन्हें संविधान के तीन अनुच्छेदों में पाया जा सकता है। अनुच्छेद 14 कहता है कि सरकार किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगी। अनुच्छेद 15 घोषित करता है कि सरकार किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 15 (3) राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने में सक्षम बनाने के लिए एक विशेष प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 42 राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है। इन सबसे ऊपर, संविधान अनुच्छेद 15 (ए), (ई) के माध्यम से महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के लिए प्रत्येक नागरिक पर एक मौलिक कर्तव्य मानता है।

मानव विकास में ऐसे तत्व शामिल हैं जो लिंग और विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों में योगदान करते हैं। किसी समाज की गरिमा और संस्कृति का पता उस समाज में महिलाओं की स्थिति से लगाया जा सकता है।

इस समकालीन दुनिया में, महिलाओं को उतनी ही शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है जितनी पुरुषों के पास है। भारत में, पुरुष प्रधान संस्कृतियों में महिलाओं को वर्तमान समय में भी विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। चीजें महिलाओं की स्थिति और उनके भविष्य से संबंधित हैं। सभ्यता के मूल्य को समाज में, महिलाओं को दिए गए स्थान से मध्यस्थ किया जा सकता है।

भारत में आज भी महिलाएं दुर्व्यवहार और हिंसक अपराधों की शिकार होती हैं।

बचपन के बाद भी, अत्यधिक गरीबी और महिलाओं के प्रति गहरे पूर्वाग्रह, भेदभाव का एक ऐसा चक्रव्यूह पैदा करते हैं जो लड़कियों को उनकी पूरी क्षमता तक जीने से रोकता है। यह उन्हें गंभीर शारीरिक और भावनात्मक शोषण की चपेट में भी छोड़ देता है। लेकिन यह खतरा उन लड़कियों और महिलाओं के लिए अधिक गंभीर है जो ऐसे समाज में रहती हैं जहां महिलाओं के अधिकारों का व्यावहारिक रूप से कोई मतलब नहीं है।

जिन माताओं के पास अपने अधिकार नहीं हैं, वे अपनी बेटियों को पुरुष रिश्तेदारों और अन्य आधिकारिक आंकड़ों से बहुत कम सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और हिंसक हमलों की आवृत्ति चिंताजनक है।

आजादी के बाद और ब्रिटिश शासन के दौरान भी सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के बावजूद महिलाओं को पूरी तरह से सशक्त नहीं बनाया जा सकता है। हमें भारत में राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता या कॉर्पोरेट क्षेत्र में सर्वोच्च पदों पर आसीन महिलाओं पर गर्व हो सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि हम अभी भी दहेज हत्या, घरेलू हिंसा और शोषण के गवाह हैं। औरत। कन्या भ्रूण हत्या कोई असामान्य घटना नहीं है। पुरुष महिला अनुपात हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है, फिर भी संतोषजनक नहीं कहा जा सकता।

महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति (2001) उस समय की सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की गति को तेज करने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। नीति का उद्देश्य महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना था, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें। नीति ने महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, भागीदारी और राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में निर्णय लेने के लिए समान पहुंच का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए कानूनी व्यवस्था को मजबूत करना भी है। यह नागरिक समाज, विशेष रूप से महिला संगठन के साथ साझेदारी को मजबूत करने की भी कल्पना करता है।

अनुसन्धान विधि

प्रस्तुत अध्ययन में द्वितीय आंकड़ों का प्रयोग किया गया। शोधकर्ता ने द्वितीय आंकड़ों के साथ-साथ स्वयं के अनुभव एवं हमारे ईर्द-गिर्द घटने वाली घटनाओं को सामने रखकर ही अनुसन्धान विधि अपनाई है।

भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण

सशक्तिकरण की अवधारणा शक्ति से बहती है। यह निहित है जहां यह मौजूद नहीं है या अपर्याप्त रूप से मौजूद है। महिलाओं के सशक्तिकरण का अर्थ होगा महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र, आत्मनिर्भर बनाना, किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए सकारात्मक सम्मान देना और उन्हें विकास गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम होना चाहिए। सशक्त महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम होना चाहिए।

पिछले कुछ वर्षों में सबसे सकारात्मक विकास पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी रही है। ग्राम परिषद स्तर पर कई निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। वर्तमान में पूरे भारत में कुल 2056882 लेस ग्राम पंचायत सदस्य हैं, इनमें से 834244 (40-48 प्रतिशत) महिला सदस्य हैं, जबकि कुल अंचलिक पंचायत सदस्य 109324 हैं, इसमें से महिला सदस्य 47455(40-41 प्रतिशत) और कुल जिला पोरिसोड सदस्य 11708 हैं, इनमें से 4923 (42-05 प्रतिशत) महिला सदस्य हैं।

केंद्र और राज्य स्तर पर भी महिलाएं उत्तरोत्तर बदलाव ला रही हैं। आज हमने महिला मुख्यमंत्रियों, महिला अध्यक्षों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, अच्छी तरह से स्थापित व्यवसायियों आदि को देखा है। इनमें से सबसे उल्लेखनीय श्रीमती प्रोतिवा देवी सिंह पाटिल, सोनिया गांधी, शीला दीक्षित, मायावती, बिंदा करात, नजमा हेपतुल्ला, इंदिरा न्यू हैं। भाजपा नेता सुषमा सोराज, रेल मंत्री ममता बनारजी, 'नर्मदा बसाव' नेता मेधापाटेकर, इंडियन आयरन वुमन, पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी आदि।

महिलाएं बाल पालन, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानव विकास के मुद्दों में भी शामिल हैं। उनमें से कई कृटीर उत्पादों-अचार, सिलाई, कढ़ाई इत्यादि के निर्माण और विपणन में चले गए हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को इन दिनों देश के लिए प्रगति की अनिवार्यता के रूप में माना जा रहा है, इसलिए, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का मुद्दा राजनीतिक विचारकों, सामाजिक विचारकों और सुधारकों के लिए सर्वोपरि है।

आज हमने भारत की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार के विभिन्न अधिनियमों और

योजनाओं पर ध्यान दिया है। लेकिन भारत में महिलाओं को समाज के हर स्तर पर भेदभाव और हाशिए पर रखा जाता है चाहे वह सामाजिक, राजनीतिक, और आर्थिक भागीदारी ही क्यों न शिक्षा तक पहुंच हो और प्रजनन स्वास्थ्य सेवा भी हो। पूरे भारत में महिलाएं आर्थिक रूप से बहुत गरीब पाई जाती हैं।

कुछ महिलाएं सेवाओं और अन्य गतिविधियों में लगी हुई हैं। इसलिए, उन्हें पुरुषों के साथ अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आर्थिक शक्ति की आवश्यकता है। दूसरी ओर, यह देखा गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम साक्षर पाई गई हैं।

2001 की जनगणना के अनुसार, भारत में पुरुषों में साक्षरता दर 76 प्रतिशत पाई गई है जबकि महिलाओं में यह केवल 54 प्रतिशत है। इस प्रकार, महिलाओं के बीच शिक्षा को बढ़ाना उन्हें सशक्त बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी देखा गया है कि कुछ महिलाएं काम करने के लिए बहुत कमजोर हैं। वे खाना कम खाते हैं लेकिन काम ज्यादा करते हैं। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से जिन महिलाओं को कमजोर होना है उन्हें मजबूत बनाना है।

एक अन्य समस्या यह है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न। बलात्कार, लड़की के अपहरण, दहेज प्रताड़ना आदि के कई मामले हैं। इन कारणों से, उन्हें अपनी रक्षा के लिए और अपनी पवित्रता और गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए सभी प्रकार के सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है।

सरकारी संगठन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली औपचारिक माध्यम हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण में गैर सरकारी संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्वतंत्रता के कुछ ही वर्षों बाद, सरकार ने केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की, जो स्वैच्छिक क्षेत्र का एक शीर्ष निकाय है, जो देश भर में 10000 से अधिक गैर सरकारी संगठनों की सहायता करता है, महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम, व्यावसायिक जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से अपने दम पर खड़े होने में मदद करता है। प्रशिक्षण और इसी तरह के अन्य कार्यक्रम।

एनजीओ की कार्यशैली खुली, पारदर्शी और व्यक्तिगत है। अतः वे इस दिशा में अधिक प्रभावी हैं। वे जनता को जगाने के लिए सेमिनार, सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। उनकी सामूहिक अपील - शैली महिलाओं के अधिकारों की बेहतर समझ और उन अधिकारों का आनंद सुनिश्चित करने और भेदभाव को समाप्त करने के साधनों में योगदान करती है। वे शहरी और ग्रामीण अशिक्षित महिलाओं को स्वरोजगार के

लिए तैयार करते हैं, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, एनजीओ के ये सभी कार्यक्रम और कार्य स्थायी सामुदायिक विकास और इसलिए महिला सशक्तिकरण की प्राप्ति में योगदान करते हैं।

निष्कर्ष

महिलाओं का सशक्तिकरण न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक बन गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अकेले सरकार की पहल पर्याप्त नहीं होगी। समाज को एक ऐसा माहौल बनाने के लिए पहल करनी चाहिए जिसमें कोई लैंगिक भेदभाव न हो और महिलाओं को स्व-निर्णय लेने और देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में समानता की भावना के साथ भाग लेने का पूरा अवसर मिले। निष्कर्ष के तौर पर, लैंगिक पूर्वाग्रह की इस समस्या पर सभी पक्षों से एक केंद्रित तरीके से हमला करने के लिए सभी स्तरों पर एक सतत, व्यापक प्रयास की तत्काल आवश्यकता है।

संदर्भ

1. ब्राइट, प्रीतम सिंह (संपादन) ---- प्रतियोगिता पुनश्चर्या, अगस्त, 2010, नई दिल्ली।
2. हसनैन, नदीम --- इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2004, नई दिल्ली।
3. कर, पी. के --- इंडियन सोसाइटी, कल्याणी पब्लिशर्स, 2000, कटक।
4. किदवई, ए. आर.---(सं.) उच्च शिक्षा, मुद्दे और चुनौतियां, चिरायू पुस्तकें, 2010, नई दिल्ली।
5. राव शंकर, सीएन ---- इंडियन सोसाइटी, एस.चंद एंड कंपनी लिमिटेड, 2005, नई दिल्ली।

Corresponding Author

डॉ. वीना रानी*